30

मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पत्र क्र. एफ-53/3/3622/19/यो/2011 भोपाल दिनांक 13-7-11

आदेश

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि निर्माण कार्य हेतु निविदा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से निविदा प्राप्त होने (फायनेंसियल बिड खोलने) की समय सीमा दो लिफाफा पद्धति से निविदा आमंत्रण हेतु अधिकतम 30 दिन तथा तीन लिफाफा पद्धति (पोस्ट क्वालिफिकेशन) से निविदा आमंत्रण हेतु 40 दिन रखी जावे। निविदाओं के त्वरित निराकरण हेतु लोक निर्माण विभाग में प्रत्येक स्तर पर निविदा निराकरण समिति का गठन एवं निविदा निराकरण की समय सीमा का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

(1) संभाग स्तर पर निविदा निराकरण समिति:-

कार्यपालन यंत्री,	—	अध्यक्ष
लेखापाल	—	सदस्य
संबंधित अनुविभागीय अधिकारी	—	सदस्य
संभागीय वरिष्ठ लेखा लिपिक	—	सदस्य
टेक्नीकल बिड इवेल्येशन अनुमोदन हेतु उच्च कार्यालय को भेजने की समय सीमा	—	टेक्नीकल बिड खोलने की तिथि से 7 दिन
निविदा निराकरण/निराकरण हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित किये जाने की समय सीमा	—	निविदा की फाइनेंशियल बिड खोलने की तिथि से 7 दिन।

(2) मण्डल स्तर पर निविदा निराकरण समिति:-

अधीक्षण यंत्री,	—	अध्यक्ष
संबंधित कार्यपालन यंत्री,	—	सदस्य
संलग्न कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री	—	सदस्य
मण्डल अधीक्षक/मण्डल कार्यालय की सामान्य शाखा प्रमुख	—	सदस्य
टेक्नीकल बिड इवेल्येशन अनुमोदन हेतु उच्च कार्यालय को भेजने की समय सीमा	—	कार्यपालन यंत्री से प्राप्त होने की तिथि से 3 दिन
निविदा निराकरण/निराकरण हेतु उच्च कार्यालय को भेजे जाने की समय सीमा	—	कार्यपालन यंत्री से निविदा प्राप्त होने की तिथि से 7 दिन।

(3) परिक्षेत्र स्तर पर निविदा निराकरण समितिः–

मुख्य अभियंता	– अध्यक्ष
संबंधित अधीक्षण यंत्री / संबंधित अधीक्षण यंत्री की अनुपस्थिति में संबंधित कार्यपालन यंत्री	– सदस्य
संलग्न अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री	– सदस्य
परिक्षेत्रीय लेखा अधिकारी / परिक्षेत्र कार्यालय की सामान्य शाखा प्रमुख	– सदस्य
टेक्नीकल बिड अनुमोदन करने की समय सीमा	– अधीक्षण यंत्री कार्यालय से प्राप्त होने की तिथि से 3 दिन
निविदा निराकरण / निराकरण हेतु उच्च कार्यालय को भेजे जाने की समय सीमा	– मण्डल कार्यालय से निविदा प्राप्त होने की तिथि से 7 दिन

(4) प्रमुख अभियंता स्तर पर निविदा निराकरण समितिः–

प्रमुख अभियंता,	– अध्यक्ष
संबंधित मुख्य अभियंता / संबंधित मुख्य अभियंता की अनुपस्थिति में संबंधित अधीक्षण यंत्री	– सदस्य
मुख्य अभियंता (योजना / बजट)	– सदस्य
वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी	– सदस्य
निविदा निराकरण की समय सीमा	– परिक्षेत्रीय कार्यालय से निविदा प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन

(5) शासन स्तर पर निविदा निराकरण समितिः–

मा0 मंत्रीजी लो0नि0वि0,	– अध्यक्ष
प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0	– सदस्य
सचिव, लो0नि0वि0	– सदस्य
प्रमुख अभियंता, लो0नि0वि0	– सदस्य
उपसचिव (योजना / बजट) / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	– सदस्य
निविदा निराकरण की समय सीमा	– परिक्षेत्रीय कार्यालय से निविदा प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन

13-7-11

पृ.क्र.— एफ-53/3/3622/19/यो/2011 भोपाल दिनांक 13-7-11

प्रतिलिपि:—

1 - निज सचिव, मान0 मंत्री जी/राज्य मंत्री जी लोक निर्माण विभाग।
2 - प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3 - प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
4 - प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल।
5 - समस्त मुख्य अभियंता, लो0नि0वि0 भोपाल।
6 – मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रोजेक्ट डायरेक्टर (PMU) भोपाल।
7 – समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8 – समस्त अधीक्षण यंत्री (सेतु/रा.रा. मण्डल) लोक निर्माण विभाग।
9 – समस्त जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश।
10 - समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सिविल संभाग, परियोजना संभाग एवं विद्युत यांत्रिकी संभाग।
11 - समस्त महाप्रबंधक, परियोजना कियान्वयन ईकाई, म0प्र0।

13-7-11

(विजय सिंह वर्मा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

13/7/11

(i) समिति की बैठके व निविदा प्रकरणों का प्रस्तुतीकरण नियमित रूप से इस तरह हो कि निविदाओं का निराकरण निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित हो सकें।

(ii) शासन स्तर पर निराकृत की जाने वाली निविदायें मुख्य अभियंता द्वारा सीधे शासन को प्रेषित की जावेगी।

(iii) निविदा निराकरण हेतु उच्च कार्यालय को भेजते समय भेजने वाले कार्यालय में प्रकरण प्राप्ति का दिनांक आवश्यक रूप से अंकित किया जाऐ।

(iv) वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग II यथा संशोधित आदेश के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर वित्तीय अधिकार निर्धारित किये गये है, वे यथावत रहेगें।

(v) आवश्यकता होने पर उपरोक्त समितियों का पुनर्गठन शासन की अनुमति से किया जा सकता है।

(vi) कार्यपालन यंत्री के अधिकार क्षेत्र की निविदाऐं संभागीय कार्यालय में एवं शेष समस्त निविदाऐं संबंधित मण्डल कार्यालय में खोली जावेंगी। मण्डल कार्यालय में खोले जाने वाली निविदाओं के दस्तावेज जिनकी हार्ड कापी यथा अर्नेस्ट मनी, क्वालीफिकेशन डाक्यूमेन्टस या अन्य लिफाफे इत्यादि को नियत तिथि तक संभागीय कार्यालय या अधीक्षण यंत्री कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है।

(vii) उपरोक्त निर्देश प्रोजेक्ट डायरेक्टर (PMU), परियोजना कियान्वयन ईकाईयो (PIU) एवं परियोजना संभागों पर भी लागू होंगे।

(viii) इस संबंध में जारी समस्त पूर्व आदेशों को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

13-7-11

(विजय सिंह वर्मा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, भोपाल